2025:CGHC:43595

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक पुर्नरीक्षण क्रमांक 891/2016

निर्णय सुरक्षित रखने का दिनाँकः 01.08.2025

निर्णय पारित करने का दिनाँकः 28.08.2025

लतखोर सोरी पिता मंगलूराम सोरी, आयु लगभग 52 वर्ष, निवासी– ग्राम कुंगेरा, थाना सिहावा, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़,

... आवेदक

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य, द्वाराः थाना प्रभारी, थाना– सिहावा, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़

...उत्तरवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आवेदक की ओर से : श्री अनिल गुलाटी, अधिवक्ता की ओर से सुश्री गुंजा ताराम, अधिवक्ता

उत्तरवादी/राज्य की ओर से : श्री दीपक कुमार सिंह, पैनल अधिवक्ता

माननीय न्यायमूर्ति श्री राधाकिशन अग्रवाल

सीएवी निर्णय

1. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 397/401 के अधीन प्रस्तुत वर्तमान पुनरीक्षण, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धमतरी (छ.ग.) द्वारा दाण्डिक अपील क्रमांक 79/2014 में दिनांक 15.09.2016 पारित के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नगरी, जिला–धमतरी (छ.ग.) द्वारा दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 38/2014 में दिनांक 16.10.2014 को पारित निर्णय में उस निर्णय की पुष्टि की गई है, जिसके अंतर्गत आवेदक को छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(1)(क) के अधीन दोषसिद्ध किया गया है तथा उसे एक वर्ष के कठोर कारावास तथा ₹10,000/– के अर्थदण्ड ,अर्थदण्ड के संदाय के व्यतिक्रम की दशा पर एक माह के अतिरिक्त साधारण कारावास से दंडित किया गया है।

2. अभियोजन का प्रकरण, संक्षिप्त में, यह है कि दिनांक 11.02.2014 को लगभग 12:30 बजे (दोपहर) गश्त के दौरान, पुलिस थाना–सिहावा के पुलिसकर्मियों ने आवेदक को रोका और उसके खाद की बोरियों की तलाशी ली, जिस पर पुलिस ने आवेदक के कब्जे से 180 मिलीलीटर की बोतलों में भरी हुई देशी

सादी शराब के 20 क्वार्टर जब्त किए। यह जब्ती साक्षियों, अर्थात् राधेलाल (अ.सा.–02) और संजू कुमार (अ.सा.–03), की उपस्थिति में लगभग 12:45 बजे (दोपहर) की गई। तत्पश्चात, पुलिस ने आवेदक के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के अधीन दंडनीय अपराध पंजीबद्ध किया।

3. विवेचना पूर्ण होने के उपरांत, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के अधीन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जे.एम.एफ.सी.), नगरी, जिला– धमतरी के न्यायालय में अभियोग– पत्र प्रस्तुत किया गया। आवेदक ने अपने अपराध को अस्वीकार किया और निर्दोष होने का अभिवाक किया। अभियुक्त/आवेदक के अपराध को साबित करने हेतु, अभियोजन ने 6 साक्षियों का परीक्षण कराया। अभियुक्त/आवेदक का कथन भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभिलिखित किया गया।

4. विद्वान विचारण न्यायालय ने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य की विवेचना के उपरांत, आवेदक को धारा 34(1)(क) के अधीन दोषसिद्ध किया और इस आदेश के कण्डिका 1 में उल्लिखित अनुसार दण्डित किया। आवेदक द्वारा इस निर्णय को दाण्डिक अपील में चुनौती दी गई थी, तथापि, अपीलीय न्यायालय ने दिनांक 15.09.2016 के निर्णय द्वारा दोषसिद्धि एवं दंडादेश के आदेश की पुष्टि की है। अतः यह पुनरीक्षण प्रस्तुत की गई है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

5. आवेदक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियोजन अपना प्रकरण युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित करने में असफल रहा है। वह आगे तर्क करते हैं कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन(प्रदर्श पी–09) दिनांक 11.01.2014 को लगभग 13:35 बजे (दोपहर 1:35) दर्ज की गई थी, जिसमें अपराध क्रमांक 02/2014 अंकित है, जबकि जिस समय जब्ती ज्ञापन (प्रदर्श पी–03) तैयार किया गया था, अर्थात् 12:45 बजे (दोपहर 12:45), उसमें भी अपराध क्रमांक 02/2014 अंकित था। यह दर्शाता है कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज होने से पूर्व ही जब्ती ज्ञापन में अपराध क्रमांक का उल्लेख कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, अभियोजन यह स्पष्ट करने में असफल रहा है कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी–9) दर्ज होने से पूर्व जब्ती ज्ञापन (प्रदर्श पी–3) में अपराध क्रमांक 02/2014 किस प्रकार अंकित किया गया। यह भी तर्क किया गया है कि जब्ती ज्ञापन के निर्धारित कॉलम, अर्थात् कॉलम क्रमांक 13, में नमूना सील अंकित नहीं है। जब्ती ज्ञापन के साक्षियों, नामतः राधेलाल (अ.सा.–02) और संजू कुमार (अ.सा.–02), ने अभियोजन के प्रकरण का समर्थन नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, यह तर्क किया गया है कि अभियोजन ने यह दर्शाने हेतु कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि जब्त की गई संपत्ति को सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया था, और न ही यह दर्शाने के लिए कोई मालखाना रजिस्टर प्रस्तुत किया गया है कि जब्त की गई संपत्ति को मालखाना में सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया था। आगे, वस्तुएँ दिनांक 11.01.2014 को जब्त की गई थीं, जबकि परीक्षण रिपोर्ट दर्शाती है कि जब्त की गई

वस्तुएँ परीक्षण हेतु दिनांक 20.01.2014 को भेजी गईं थीं, और इस प्रकार, यह प्रतीत होता है कि जब्त की गई वस्तु विलंब से रासायनिक परीक्षण हेतु भेजी गई थी तथा अभियोजन द्वारा इसमें हुए विलंब के संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आबकारी अधिनियम की धारा 57(क) के अपालन के अतिरिक्त आधार पर भी इस पुनरीक्षण पर बल दिया है, जो अभियोजन के प्रकरण को दूषित करता है। अपने तर्कों के समर्थन में, उन्होंने *सुरेश कुमार विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य 2006 (3) सीजीएलजे 259* में प्रकाशित प्रकरण में पारित निर्णय का अवलंब लिया। अंत में, उनका तर्क है कि आवेदक द्वारा अर्थदण्ड राशि पहले ही विचारण न्यायालय में जमा कर दी गई है।

6. दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए, पुनरीक्षण का विरोध किया।

7. मैंने उभयपक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण को सुना है और अभिलेख का सूक्ष्मतापूर्वक परिशीलन किया है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

8. आवेदक के अधिवक्ता के तर्क के निपटान हेतु, अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य और अभिलेख पर प्रस्तुत अन्य दस्तावेज़ों पर विचार करना उचित होगा। प्रधान आरक्षक लोकेश नेताम (अ.सा.–06) के कथन के अनुसार, दिनांक 11.01.2014 को गश्त के दौरान, जब वह अन्य कर्मचारियों के साथ ग्राम बसपानी से सिहावा आ रहे थे, तब लगभग 12:00 बजे उन्होंने एक व्यक्ति (आवेदक/अभियुक्त) को खाद की बोरियों से बने एक थैले में कुछ सामग्री ले जाते हुए देखा। संदेह के आधार पर, उन्होंने आवेदक की तलाशी ली और उसके कब्जे से 180 मिलीलीटर की बोतल में भरी देशी सादी शराब के 20 क्वार्टर प्राप्त किए। उसी स्थान पर, उन्होंने राहगीरों, नामतः राधेलाल (अ.सा.–02) और संजू पटेल (अ.सा.–03), को रोका और उन्हें जब्ती की कार्यवाही में भाग लेने के लिए सूचना (प्रदर्श पी–2) दिया और उसके पश्चात उनके द्वारा जब्ती ज्ञापन (प्रदर्श पी–3) तैयार किया गया। इस साक्षी ने आगे कथन किया है कि जब्ती की कार्यवाही पूरी होने के उपरांत, वह थाना आए और दिनांक 11.01.2014 को 13:35 बजे अपराध क्रमांक 02/2014 के अधीन प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी–9) पंजीबद्ध किया, जो कथित जब्ती की कार्यवाही पूर्ण होने के बाद पंजीबद्ध की गई थी। परन्तु, आश्चर्यजनक रूप से, उक्त अपराध क्रमांक 02/2014 को प्रथम सूचना प्रतिवेदन पंजीबद्ध करने से पूर्व ही, जब्ती ज्ञापन (प्रदर्श पी–3) के कॉलम क्रमांक 1 में भी उल्लेखित किया गया था। अभियोजन यह स्पष्ट करने में असफल रहा है कि जब्ती की कार्यवाही के 1 से डेढ़ घंटे पश्चात प्रथम सूचना प्रतिवेदन पंजीबद्ध होने के बावजूद, जब्ती ज्ञापन में उक्त अपराध क्रमांक का उल्लेख कैसे किया गया।

9. जब्ती ज्ञापन (प्रदर्श पी–3) से यह भी स्पष्ट नहीं होता है कि कथित शराब की जब्ती के बाद, इसके कॉलम क्रमांक 12 व 13 में कोई नमूना सील लगाई गई थी और क्या जब्त की गई शराब को सुरक्षित

अभिरक्षा में रखा गया था। जब्ती ज्ञापन प्रदर्श पी–3 आगे साक्षियों के हस्ताक्षर दर्शाता है, किंतु कॉलम क्रमांक 12 व 13 के अनुसार, कोई नमूना सील नहीं लगाई गई थी और अभियोजन द्वारा यह भी साबित नहीं किया गया कि साक्षियों के हस्ताक्षर जब्त की गई वस्तु को सीलबंद करने के बाद ही प्राप्त किए गए थे। यदि जब्त की गई वस्तु को सीलबंद किया गया होता, तो नमूना सील निश्चित रूप से वहाँ होनी चाहिए थी, परंतु कॉलम क्रमांक 13 में कोई नमूना सील नहीं लगाई गई थी ।

10. जब्ती के साक्षियों में से एक, राधेलाल (अ.सा.–02), ने कथन किया है कि सूचना (प्रदर्श पी–2) प्राप्त होने पर, उन्होंने जब्ती की कार्यवाही में भाग लिया और यद्यपि उन्होंने जब्ती ज्ञापन (प्रदर्श पी–3) पर अपने हस्ताक्षर किए हैं, परन्तु वास्तव में पुलिस ने उनकी उपस्थिति में आवेदक से कोई वस्तु जब्त नहीं की थी। प्रति–परीक्षण में, यह साक्षी अपने कथन पर अडिग रहा और अभियोजन के प्रकरण का समर्थन नहीं किया तथा पक्षद्रोही हो गया। एक अन्य जब्ती साक्षी, संजू कुमार (अ.सा.–03), ने अपने कथन में कहा है कि दिनाँक 11.01.2014 को लगभग 01:00 बजे पुलिस ने उनकी उपस्थिति में आवेदक से प्लास्टिक के थैले में रखी 20 क्वार्टर शराब जब्त की थी। हालाँकि, प्रति–परीक्षण के पैरा 5 में, इस साक्षी ने आगे स्वीकार किया कि वह प्रधान आरक्षक लोकेश नेताम (अ.सा.–06) को जानते थे और जब उन्होंने जब्ती ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, उस समय लोकेश नेताम वहाँ उपस्थित नहीं थे। इस प्रकार, इस साक्षी के कथन और जब्ती ज्ञापन तैयार करने वाले लोकेश नेताम के कथन में विरोधाभाष एवं लोप प्रतीत होता है। उनके कथन एक दूसरे से विधिवत संपुष्ट नहीं होते हैं और इसलिए, लोकेश नेताम का कथन संदेहास्पद और संदिग्ध प्रतीत होता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. प्रधान आरक्षक नरेश साहू (अ.सा.–05) ने न्यायालयिन कथन किया है कि दिनाँक 11.01.2014 को वह मालखाना मुंशी के पद पर पदस्थ था और उन्होंने सीलबंद स्थिति में जब्त की गई 20 क्वार्टर सादी शराब वाला एक थैला प्राप्त किया था। हालाँकि, इस साक्षी ने अपने प्रति–परीक्षण में, विशेष रूप से स्वीकार किया कि जब्त की गई संपत्ति को उनकी अभिरक्षा में लाए जाने के बाद, थाना संपत्ति रजिस्टर (प्रदर्श पी–6 सी) में यह उल्लेख नहीं था कि जब्त की गई संपत्ति कहाँ भेजी गई थी और किसकी अभिरक्षा में रखी गई थी। इसके अतिरिक्त, थाना संपत्ति रजिस्टर में यह भी उल्लेख नहीं है कि जब्त की गई संपत्ति "सीलबंद" स्थिति में जमा की गई थी।

12. आबकारी अधिकारी बी.के. अंधारे (अ.सा.–01) के कथन के अनुसार, जब्त की गई वस्तु, जिसे खाद की बोरी में रखा गया था, आरक्षक बहुर कुमार (अ.सा.–04) द्वारा पुलिस थाना सिहावा से दिनाँक 20.01.2014 को सीलबंद स्थिति में उनके समक्ष प्रस्तुत की गई थी। यद्यपि, अभियोजन के प्रकरण के अनुसार, वस्तु दिनाँक 11.01.2014 को जब्त की गई थी, किंतु उसे आबकारी अधिकारी के समक्ष रासायनिक परीक्षण हेतु दिनाँक 20.01.2014 को, अर्थात् जब्ती के 09 दिन बाद भेजा गया था।

अभियोजन ने जब्त की गई वस्तु को परीक्षण के लिए भेजने में हुए 9 दिवस के विलंब का कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया है और न ही यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया है कि जब्त की गई संपत्ति को सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया था। इसके अतिरिक्त, जब्त की गई वस्तुओं को रासायनिक परीक्षण के लिए भेजे जाने के संबंध में जब्ती रजिस्टर (प्रदर्श पी–6 सी) में कोई प्रविष्टि उल्लिखित नहीं है। जब्त की गई संपत्ति को सीलबंद करना और उसे सुरक्षित अभिरक्षा में रखना अभियोजन का परम कर्तव्य है, किंतु अभियोजन इस कर्तव्य का निर्वहन करने में असफल रहा है। अभियोजन जब्ती ज्ञापन में नमूना सील न लगाए जाने के संबंध में भी कोई स्पष्टीकरण देने में समर्थ नहीं रहा है। इसके अतिरिक्त, आबकारी अधिनियम की धारा 57(क) के प्रावधानों का भी अभियोजन द्वारा विधिवत अनुपालन नहीं किया गया है।

13. इस विवाद्यक का निराकरण करते हुए, इस न्यायालय ने सुरेश कुमार (पूर्वोक्त) के प्रकरण में निम्नानुसार अवधारित किया है:

> "**10.** विचारण न्यायाधीश द्वारा अभिलिखित दिनांक 01–10–2004 के आदेश पत्रक से यह ध्यान देना सुसंगत है कि जब्त संपत्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था। आबकारी उप–निरीक्षक श्री के.एल. तारम (अ.सा.–2) द्वारा 30 लीटर देशी शराब युक्त जारिकेन को संबंधित थाना के भारसाधक अधिकारी के पास जमा नहीं करने या उसमें से कोई नमूना नहीं लेने और उसे सीलबंद नहीं करने का कोई कारण नहीं बताया गया है। अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाता हो कि 30 बल्क लीटर देशी शराब को दिनाँक 01–10–2004 को चालान प्रस्तुत करने तक कहाँ और किसकी अभिरक्षा में रखा गया था। यह दर्शाने के लिए भी कुछ नहीं है कि आबकारी उप–निरीक्षक श्री के.एल. तारम (अ.सा.–2) ने जब्ती करने के 24 घंटे के भीतर अधिनियम की धारा 57 के अधीन आवश्यक रूप से गिरफ्तारी, जब्ती या तलाशी के सभी विवरणों की पूर्ण रिपोर्ट अपने निकटतम आधिकारिक वरिष्ठ को प्रस्तुत की थी। इस प्रकार, अधिनियम की धारा 57 का पूर्ण अपालन है।
>
> **11.** इस प्रकार, अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार करने के उपरांत, निम्नलिखित बिंदु उभरते हैं:
>
> (क) आबकारी उप–निरीक्षक के.एल. तारम (अ.सा.–2) द्वारा अधिनियम की धारा 57 का पूर्ण अपालन किया गया है, जो अभियोजन के प्रकरण को दूषित करता है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(ख) यह संदेह से परे स्थापित नहीं हुआ है कि आवेदक के कब्जे से 25 बल्क लीटर से अधिक देशी शराब पाई गई थी।

(ग) श्री के.एल. तारम (अ.सा.–2) का परिसाक्ष्य संदेहास्पद हो जाता है, क्योंकि उन्होंने आवेदक से कथित रूप से जब्त किए गए मादक पदार्थ को विचारण न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया।

(घ) स्वतंत्र साक्षियों ईश्वर प्रसाद (अ.सा.–1) और नीरज श्रीवास्तव (अ.सा.–3) ने आवेदक के कब्जे से कथित रूप से जब्त किए गए स्वापक पदार्थ से संबंधित जब्ती और किए गए परीक्षण के संबंध में आबकारी उप–निरीक्षक के.एल. तारम (अ.सा.–2) के साक्ष्य की संपुष्टि नहीं की।

12. फलस्वरूप, पुनरीक्षण स्वीकार की जाती है। छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(1)(क) के अधीन अपीलार्थी की दोषसिद्धि एवं दंडादेश को अपास्त किया जाता है। आवेदक को दोषमुक्त किया जाता है। यदि अर्थदण्ड का संदाय किया गया है, तो वह आवेदक को वापस किया जाएगा।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों पर उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत को लागू करने पर, इस न्यायालय का यह अभिमत है कि अभियोजन अपना प्रकरण साबित करने में असफल रहा है और छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क) के अधीन आवेदक की दोषसिद्धि एवं उसके अन्तर्गत पारित दण्डादेश विधि के विपरीत होने के कारण, पुनरीक्षण अधिकारिता का प्रयोग करते हुए अपास्त किए जाने योग्य है एवं तदनुसार, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क) के अधीन आवेदक की दोषसिद्धि एवं उसके अन्तर्गत पारित दंडादेश को एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है और आवेदक को संदेह का लाभ देते हुए उपरोक्त आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। यदि अर्थदण्ड का संदाय किया गया है, तो वह आवेदक को वापस किया जाएगा।

15. फलस्वरूप, पुनरीक्षण स्वीकार की जाती है। आवेदक के जमानत पर होने की सूचना है और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437–क के प्रावधानों के दृष्टिगत, उसका जमानत बंधपत्र आज से छह माह की अवधि तक प्रभावशील रहेंगे। दोनों न्यायालयों के अभिलेख इस आदेश की प्रतिलिपि सहित संबंधित न्यायालयों को सूचना और आवश्यक अनुपालनार्थ अविलंब प्रतिप्रेषित की जाए।

सही/–

राधाकिशन अग्रवाल

न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur